


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर संशोधित-आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृत्ति/16-17 दिनांक 28.03.2017 एवं आदेश दिनांक 11.04.2017 के द्वारा निम्नलिखित व्याख्याता के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-


क्र. सं.	नाम	पदस्थापन स्थान	पूर्व आदेश में अंकित त्रुटि	संशोधन जो किया जाना है
1.	गोकुलचन्द माढईया	राउमावि, बावद-अलवर	गोकुलचन्द के उपनाम में मादइया एवं जन्म दिनांक 22.09.1957 अंकित है।	उपनाम में माढईया एवं जन्म दिनांक 20.09.1957 पढ़ा जाए।
2.	कानसिंह	राउमावि, पाली	विषय इतिहास अंकित है।	विषय इतिहास के स्थान पर वाणिज्य पढ़ा जाए।

शेष शर्तें मूल आदेश के अनुसार ही रहेगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृत्ति/2016-17 दिनांक:- 30/8/2017
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- (2) संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- (3) सम्बन्धित उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग
- (4) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
- (5) सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबन्धित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र -6 प्राप्त कर अंतिम अर्देय प्रमाण पत्र जारी करें।
- (6) संबंधित प्राध्यापक।
- (7) सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को इन्टरनेट पर प्रकाशनार्थ
- (8) रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)